प्रेस नोट दिनाँक- 19-01-2021

(1). आज दिनांक 19.01.2021 को जिलाधिकारी चित्रकूट श्री शेषमणि पांडेय एवं पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील कर्वी में फरियादियों की समस्याओं को सुनकर त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया।

इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी श्री विनोद कुमार, उपजिलाधिकारी सदर श्री रामप्रकाश, वन प्रभागीय अधिकारी श्री कैलाश प्रकाश, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी, प्रभारी निरीक्षक भरतकूप संजय उपाध्याय, प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्रा, तहसीलदार कर्वी, पीआरओ श्री दिनेश कुमार सिंह एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर के मार्गदर्शन में वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह तथा उनकी टीम द्वारा मारकुण्डी तिराहा से पिकअप नं0 यूपी0 96 टी 2412 व पिकअप नं0 यूपी0 96 टी 3683 में 04 भैंस व 04 पड़वा को क्रूरतापूर्वक लादकर ले जाते हुये अभियुक्त 1. गुलाम रशूल पुत्र इदरीश 2. चालक तोसीब पुत्र कल्लू 3. कातिल पुत्र मुसीम 4. कादिर पुत्र इदरीश निवासीगण बांधी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट 5. इंद्रजीत पुत्र भयंकर निवासी रामाकोल थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में मु0अ0सं0 10/21 धारा 11घ पशु क्रूरता अधिनियम पंजीकृत किया गया। बरामदशुदा दोनों पिक वाहनों को धारा 207 एमवी एक्ट के तहत सीज किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1. 04 भैंस व 04 पड़वा
2. पिकअप नं0 यूपी0 96 टी 2412
3. पिकअप नं0 यूपी0 96 टी 3683

<u>पिकअप नं0 युपी0 96</u>

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. वरि0उ0नि0 श्री दिनेश कुमार सिंह थाना मानिकपुर
2. आरक्षी पंकज
3. आरक्षी अनिल कुमार

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक रैपुरा श्री सुशीलचन्द्र शर्मा द्वारा भोली भांली जनता में भय आतंक फैलाकर गुण्डा गर्दी करने वाले अभियुक्त 1. मथूरा पासी पुत्र लखपत पासी निवासी देशाह गौरिया थाना रैपुरा 2. अनिल पटेल पुत्र काशी प्रसाद पटेल निवासी देहरुचमाफी थाना रैपुरा 3. कामता प्रसाद प्रजापति पुत्र भुलई निवासी कौबरा थाना रैपुरा 4. भानू यादव पुत्र छत्रपाल यादव निवासी सिंहपुर थाना रैपुरा 5. सुनील चौबे पुत्र मोहन चौबे निवासी कौबरा थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यावाही की गयी।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 0 2 अभियुक्तों के कब्जे से 15 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). उ0नि0 श्री विजय बहादुर सिंह थाना कोतवाली कर्वी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त रणजीत पुत्र रामशरण निवासी बरवारा थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री विजय बहादुर सिंह थाना कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री राजीव कुमार

(ii). उ0नि0 श्री सलाउद्दीन खान थाना मारकुण्डी तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त पवन सेन पुत्र स्व0 संतोष सेन निवासी टिकरिया थाना मारकुण्डी जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री सलाउद्दीन खान थाना मारकुण्डॉ

2. आरक्षी रामकिशन पटेल

(iii). प्रभारी चौकी सरैंया उ0नि0 श्री ज्ञानेद्र कुमार तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त नत्थू यादव पुत्र चुन्ना यादव निवासी बगैचा पुरवा मजरा सरैंया थाना मानिकपुर को 20 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आवकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. प्रभारी चौकी सरैंया उ0नि0 श्री ज्ञानेद्र कुमार
2. आरक्षी दुर्गेश कुमार

(5). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आज दिनांक 19.01.2021 को एण्टी रोमियो टीम थाना रैपुरा द्वारा कस्बा रैपुरा में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चकरेही चौराहा, शंकर बाजार, कसहाई रोड, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम भारतपुर और धोबिनपुरवा में, एंटी रोमियो टीम कोतवाली कर्वी द्वारा चकरेही चौराहा, शंकर बाजार, गंगाजी रोड, राजऋषि टन्डन महिला महाविद्यालय, भैरोंपागा, पुरानी बाजार क्षेत्र में भ्रमण कर बालिकाओं/महिलाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताया गया।

एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।